The Economic Times (Hindi)

Page No: 1
Page Name: Front Page
Size: 293 sq. cm

Type: Newspaper
Language: Hindi
Circulation: 9,733
Frequency: Daily

Delhi - Jul 11, 2017

Clean chit to GTL in forensic audit

GTL को फोरेंसिक ऑडिट में क्लीन चिट

फोरेंसिक ऑडिट में जीटीएल लिमिटेड के बहीखाते को दुरुस्त पाया गया है। इससे यह बात साबित हो गई है कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी ने कर्ज की रकम में हेराफेरी नहीं की। पेज 7

GTL को फोरेंसिक ऑडिट में क्लीन चिट

इससे यह बात साबित हो गई है कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने कर्ज की रकम में कोई हेराफेरी नहीं की

[सलोनी शुक्ला | मुंबई]

फोरेंसिक ऑडिट में जीटीएल लिमिटेड के बहीखाते को दुरुस्त पाया गया है। इससे यह बात साबित हो गई है कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी ने कर्ज की रकम में हेराफेरी नहीं की। फोरेंसिक ऑडिट के नतीजों से वाकिफ दो सूत्रों ने यह जानकारी दी है। अब बैंक कंपनी पर 6,000 करोड़ रुपये के बकाया कर्ज के वनटाइम सेटलमेंट (ओटीएस) की कोशिश करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने पिछले साल सितंबर में बैंकों से कहा था कि वे लोन सेटलमेंट से पहले कंपनी का फोरेंसिक ऑडिट कराएं।

एक बैंकर ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर बताया, 'फोरेंसिक ऑडिट पूरा हो चुका है। ऑडिटर्स ने बताया है कि कर्ज की रकम में हेराफेरी के कोई सबूत नहीं मिले हैं।' बैंकों ने अब आरबीआई से 'रेड फ्लैग' स्टेटस हटाने और फोरेंसिक ऑडिट के क्लोजर के लिए संपर्क किया है। जीटीएल ने इस बारे में ईमेल से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, 'अब फोरेंसिक ऑडिट का प्रोसेस पूरा हो गया है। हम बैंकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि उनका कर्ज चुकाया जा सके।' मनोज तिरोडकर की प्रमोटेड कंपनी ने बताया कि अब तक उसने ब्याज समेत 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज चुका दिया है। इसके साथ ही 8,000 करोड़ रुपये के लोन को कंपनी के शेयरों में बदला गया है।

सूत्रों का कहना है कि जीटीएल ने बैंकों को वनटाइम लोन सेटलमेंट का ऑफर दिया था। इसमें वह बकाया कर्ज का 60 पर्सेंट चुकाने को राजी थी, जो 4,000 करोड़ रुपये की रकम है। कंपनी ने कुछ किस्तों में यह रकम चुकाने का वादा किया है। हालिया ज्वाइंट लेंडर्स फोरम की मीटिंग में बैंकों ने आरबीआई से इजाजत मिलने के बाद कंपनी से लोन सेटलमेंट का फैसला किया था। एक अन्य बैंकर ने बताया, 'बैंकों के बीच सहमति बनी है कि आरबीआई के रेड फ्लैग स्टेटस हटाने के बाद फोरेंसिक ऑडिट को पूरा माना जाएगा और वे लोन के वनटाइम सेटलमेंट की कोशिश करेंगे।' कंपनी को 27 बैंकों ने कर्ज दिया है और उनमें से 9 ने वनटाइम सेटलमेंट पर मुहर लगाई है। 2015 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड मॉरीशस ने कंपनी के खिलाफ नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर्स की तरफ से वाइंडिंग अप पिटीशन दायर की थी। बैंक ने 1,800 करोड़ रुपये की रिकवरी के लिए यह मामला दर्ज कराया था। इसे आईडीबीआई बैंक की लीडरशिप में भारतीय बैंकों ने चुनौती दी। उन्होंने दावा किया कि कंपनी के एसेट्स पर पहला दावा सिक्योर्ड लेंडर्स होने के नाते भारतीय बैंकों का बनता है। अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने भी वाइंडिंग अप पिटीशन वापस लेने का फैसला किया है। उसने कहा है कि भारतीय बैंकों के वनटाइम सेटलमेंट को देखते हुए वह अपनी याचिका वापस लेगा।

अब बैंक कंपनी पर 6,000 करोड़ रुपये के बकाया कर्ज के वनटाइम सेटलमेंट की कोशिश करेंगे।आरबीआई ने पिछले साल सितंबर में बैंकों से कहा था कि वे लोन सेटलमेंट से पहले कंपनी का फोरेंसिक ऑडिट कराएं

© The Economic Times (Hindi)